प्रेस नोट **28 / 08 / 2024**

<u>थाना रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 24.08.2024 को छात्र का अपहरण कर हत्या मामले में आरोपी 06 अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में एसओजी/स्वाट/सर्विलांस एवं थाना रानीपुर पुलिस को गिरफ्तारी में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जिसमें दिनांक 24.08.2024 को पुरानी रंजिश में हुई 14 वर्षीय छात्र की अपहरण कर हत्या से सम्बन्धित 06 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियान के क्रम में आज दिनांक 28/08/2024 को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि सम्बन्धित अभियुक्तगण नगपुर पुलिया के पास सूचना पर पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से उपरोक्त व्यक्तियों को घेर कर पकड़ लिया पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम दिनेश सोनकर उर्फ छोटू पुत्र मौजी सोनकर साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, उमेश सोनकर उर्फ बड़े सोनकर पुत्र मौजी सोनकर साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, बृजेश सोनकर पुत्र हरिश्चन्द्र साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, अमर सोनकर पुत्र भोला साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, विशाल सोनकर पुत्र जितई साकिन धर्मसीपुर थाना-रानीपुर जिला मऊ, मिथुन सोनकर पुत्र मोहन सोनकर साकिन-ओझौली थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ हाल पता दीदी का घर ग्राम धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ बताये। कड़ाई से पूछताछ पर पता बताये कि दिनांक 24.08.2024 को पुरानी रंजिश के कारण 14 वर्षीय छात्र अंकित सोनकर की अपहरण कर हत्या कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुरहट मऊ में रससी में बांधकर लटका दिया ताकि लोगो को लगे कि आत्महत्या है। ततपश्चात उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. दिनेश सोनकर उर्फ छोटू पुत्र मौजी सोनकर साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।
2. उमेश सोनकर उर्फ बड़े सोनकर पुत्र मौजी सोनकर साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।
3. बृजेश सोनकर पुत्र हरिश्चन्द्र साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।
4. अमर सोनकर पुत्र भोला साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।
5. विशाल सोनकर पुत्र जितई साकिन धर्मसीपुर, थाना रानीपुर जनपद मऊ।
6. मिथुन सोनकर पुत्र मोहन सोनकर साकिन-ओझौली थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ हाल पता दीदी का घर ग्राम धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

मुकदमे का विवरण-

1. मु0अ0स0 158/24 धारा 3(5), 140(1),103 BNS थाना रानीपुर मऊ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण</u>

दिनेश सोनकर उर्फ छोटू पुत्र मौजी सोनकर साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

1. मु.अ.सं. 32/2024 धारा 147/308/323/504/506 भादव थाना रानीपुर मऊ।

2. मु.अ.सं. 100/2024 धारा 294/323/352/504/506 भादव थाना रानीपुर मऊ।
3. मु0अ0स0 158/24 धारा 3(5), 140(1),103 BNS थाना रानीपुर मऊ।

विशाल सोनकर पुत्र जितई साकिन धर्मसीपुर, थाना- रानीपुर जिला मऊ।

1. मु.अ.सं. 32/2024 धारा 147/308/323/504/506 भादव थाना रानीपुर मऊ।
2. मु.अ.सं. 46/2020 धारा 147/323/336/427/504/506 भादव थाना रानीपुर मऊ।
3. मु.अ.सं. 195/2021 धारा 323/506 भादव थाना रानीपुर मऊ।
4. मु0अ0स0 158/2024 धारा 3(5), 140(1),103 BNS थाना रानीपुर मऊ।

मिथुन सोनकर पुत्र मोहन सोनकर साकिन-ओझौली थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़।

1. मु0अ0स0 57/2023 धारा 379/411/413 भादवि थाना रानीपुर मऊ।
2. मु0अ0स0 100/2024 धारा 294/323/352/504/506 भादवि थाना रानीपुर मऊ।
3. मु0अ0स0 120/2023 धारा 379/411/413 भादवि थाना रानीपुर मऊ।
4. मु0अ0स0 158/24 धारा 3(5), 140(1),103 BNS थाना रानीपुर मऊ।

उमेश सोनकर उर्फ बड़े सोनकर पुत्र मौजी सोनकर साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

1. मु.अ.सं. 46/2020 धारा 147/323/336/427/504/506 भादव थाना रानीपुर मऊ।
2. मु0अ0स0 100/2024 धारा 294/323/352/504/506 भादवि थाना रानीपुर मऊ।
3. मु0अ0स0 193/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना रानीपुर मऊ।
4. मु0अ0स0 158/24 धारा 3(5), 140(1),103 BNS थाना रानीपुर मऊ।

बृजेश सोनकर पुत्र हरिश्चन्द्र साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

1. मु.अ.सं. 46/2020 धारा 147/323/336/427/504/506 भादव थाना रानीपुर मऊ।
2. मु0अ0स0 158/24 धारा 3(5), 140(1),103 BNS थाना रानीपुर मऊ।

अमर सोनकर पुत्र भोला साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

1. मु0अ0स0 158/24 धारा 3(5), 140(1),103 BNS थाना रानीपुर मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह मय हमराह व कां0 विकास सिंह, कां0 अनिल कुमार सोनकर व चालक हे0 कां0 नगेन्द्र सिंह।

शासन स्तर पर चिन्हित माफिया रमेश सिंह उर्फ काका (आईआर 212 गैंग लीडर) के लड़के सुधीर सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गयी अचल संपत्ति (लगभग 70 लाख 07 हजार रुपये कीमती) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत किया गया कुर्क-

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी पुलिस व राजस्व टीम द्वारा शातिर अभियुक्त सुधीर सिंह पुत्र रमेश सिंह उर्फ काका निवासी कैथौली थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना सरायलखंसी में मु0अ0सं0 253/21 धारा 3(1)

गैंगस्टर एक्ट है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से वर्ष 2018 में मौजा कोलबाजबहादुर, परगना निजामाबाद तहसील सदर जनपद आजमगढ में स्थित गाटा संख्या 474 रकबा 0.0176 हे0 में से रकबा 0.0091 हे0 कीमत लगभग 70 लाख 07 हजार रुपये जिसे उक्त सुधीर सिंह के द्वारा अपनी बहन सुधा सिंह पत्नी रोशन सिंह निवासी विशुनपुर तहसील विद्यापीठ जनपद वाराणसी को अवैध संपत्ति छिपाने की नियत से बैनामा किया था। उक्त अभियुक्त की बहन हस्तानांतरित भूमि की केवल दृष्यमान भू स्वामिनी है उक्त भूमि का वास्तविक स्वामी गैग लीडर अभियुक्त सुधीर सिंह ही है जो दृष्यमान सुधा सिंह की आड़ में लुक छिप कर संगठित अपराध कारित करने का अभ्यस्थ अपराधी है। अभियुक्त सुधीर सिंह एवं उसकी बहन के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त भूखण्ड को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 13.08.2024 को उक्त भूखण्ड को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 21.08.2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्र्तगत उक्त भूखण्ड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 28.08.2024 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड को कुर्क किया गया।

03 वांछित तथा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.02.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन शिव मंदिर के पास से मु0अ0सं0 288/24 धारा 137(2), 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त मनोहर पुत्र इम्तेयाज अहमद निवासी नामदारपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़, कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 274/24 धारा 316(2), 318(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त विद्यासागर पुत्र विकेश राजभर निवासी सवन थाना गडवार जनपद बलिया व मधुबन पुलिस द्वारा राजेन्द्र नगर गेट के पास से मु0अ0सं0 149/24 धारा 363,366,504,506,120बी में वांछित अंकित पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी मखमेलपुर थाना मधुबन तथा मधुबन पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त आदित्य शाही उर्फ प्रिन्स शाही पुत्र रणधीर निवासी भैरोपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दहेज हत्या मामले में दोषसिद्ध 03 अभियुक्त 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹9,000-9,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 28-08-2024 को मु0अ0सं0 153/2018 धारा 201/498ए/304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना चिरैयाकोट में दोषसिद्ध अभियुक्त मो0 इस्माइल पुत्र

निसार, निसार पुत्र इंद्रीश, अख्तरी बेगम पत्नी निसार निवासीगण कस्बा चिरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹9,000-9,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री राजेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुधीर कुमार थाना चिरैयाकोट का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पॉक्सो मामले में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹80,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद मऊद्वारा आज दिनांक 28-08-2024 को मु0अ0सं0 595/2017 धारा313/363/366/376/506 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त दिलीप यादव पुत्र बच्चू यादव निवासी परासखाड थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹80,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।